मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 139
18.07.2022 को उत्तर के लिए

बिना अनुमति के पेड़ काटना

139. कुंवर दानिश अली :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में, और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), एनएच-66 कारवार-गोवा और कारवार नौसेना पत्तन (कर्नाटक) के निर्माण के लिए कितने पेड़ काटे गए हैं और उन पेड़ों के प्रतिस्थापन के रूप में कितने पेड़ लगाए गए;

(ख) क्या उपर्युक्त कार्यों के लिए बिना अनुमति के पेड़ों को काटने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) वृक्षों की कटाई की अनुमति राज्य विशिष्ट अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों और माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकार प्राधिकरणों द्वारा दी जाती है। हालांकि, गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन-भूमि के अपवर्तन की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि कम से कम वृक्षों को काटा जाए।

परियोजनाओं के लिए जो वृक्ष काटे गए और उनके बदले में लगाए गए वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य	काटे गए वृक्षों की संख्या	लगाए गए वृक्षों की संख्या
1	वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग	1,09,647	13,03,978
2	राष्ट्रीय राजमार्ग-66 कारवार से गोवा की सीमा तक	4,616	69,561
3	कारवार नवल बंदरगाह, कर्नाटक	22,300	9,59,952

(ख) संबंधित राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

*****